पत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट भट्ठा समा0यो0-(2010-2011) 14/1112003 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
दिनांक::लखनऊ::अप्रैल 06 ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

ईट भट्ठा समाधान योजना सीजन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1-10-2010 से 30-9-2011तक) के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट भट्ठा समा0यो0-(2010-2011)-1679/ 1011074 दिनांक 29-12-2010 द्वारा निर्गत की गयी थी , जिसके साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या- क0नि0-1939/ ग्यारह-2-2010-9 (32)/09 दिनांक 29-12-2010 के प्रस्तर (16) में यह प्राविधान है कि यदि ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2010-2011 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठों से रुपये 320 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्ठों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रुप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तद्नुसार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा आगामी किश्तों का निर्धारण माह फरवरी,2011 के बाद अनुपातिक रुप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है। शासन के निर्देश के प्रस्तर (17) में प्राविधान है कि प्रस्तर (16) के अनुसार किश्तों की समाधान राशि संशोधित किये जाने की स्थिति में सीजन वर्ष 2010-2011 के दौरान स्थापित ईट भट्ठों को भी तद्नुसार संशोधित समाधान राशि जमा करनी होगी।

2- सीजन वर्ष 2010-2011 के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट भट्ठा समा0यो0-(2010-2011)-1847/ 1011093 दिनांक 14-2-2011 द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 दिन अर्थात् दिनांक 4-3-2011 तक बढ़ा दी गयी थी। इस बढ़ायी गयी तिथि तक दिनांक 1-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं पजीकृत भट्ठों से प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों एवं ऐसे भट्ठों से पूरे सीजन में प्राप्त होने वाली समाधान राशियों के संदर्भ में समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा आंकड़े मुख्यालय उपलब्ध कराये गये हैं, जिसकी समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि उक्त अन्तिम तिथि 4-3-2011 तक दिनांक 1-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्ठों के प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों के अनुसार पूरे सीजन वर्ष 2010-2011 में रुपये 303.91 करोड़ समाधान राशि ऐसे पुराने भट्ठों से प्राप्त होगी, जबकि पूरे सीजन में ऐसे भट्ठों से 320 करोड़ प्राप्त होनी चाहिए थी।

3- इस प्रकार दिनांक 1-10-2010 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्ठों से पूरे सीजन वर्ष में रुपये-320 करोड़ का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक भट्ठे के लिए नियत समाधान राशि में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये तथा शासन के निर्देश के प्रस्तर (17) के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 1-10-2010 के पश्चात् अर्थात् सीजन वर्ष 2010-2011 के दौरान स्थापित एवं पंजीकृत भट्ठों के लिए नियत समाधान राशियों में भी तद्नुसार 5.30 प्रतिशत की वृद्धि की जानी होगी।

4- उपर्युक्त संदर्भ में शासन के पत्र दिनांक 29-12-2010 के प्रस्तर (16) व (17) के अनुसार बढ़ी हुई समाधान राशि की देय तिथि के संदर्भ में मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट भट्ठा समा0यो0-(2010-2011)-249 दिनांक 29-3-2011 द्वारा शासन से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-क0नि0-398/ ग्यारह-2-2011-9-(32)/09 दिनांक 1-4-2011 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2010-2011 के लिए समाधान योजना अपनाने वाले सभी ईट निर्माता इकाईयों के वर्तमान में नियत समाधान राशि में प्रस्तावित वृद्धि करते हुये अवशेष देय धनराशि दो समान किश्तों में माह अप्रैल, 2011 एवं माह मई,2011 में क्रमश: 20 अप्रैल, 2011 एवं 20 मई, 2011 तक जमा कराना उचित होगा। जिन व्यापारियों को सीजन वर्ष 2009-2010 में अधिक जमा धनराशि का लाभ देय है उनकी अधिक धनराशि का समायोजन मई माह, 2011 की किश्त में कर दिया जाये।

5- अत: ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1-10-2010 से दिनांक 30-9-2011 तक की अवधि) से सम्बन्धित शासन के निर्देश पत्र संख्या-क0नि0-1939/ ग्यारह-2-2010-9 (32)/09 दिनांक 29-12-2010 के प्रस्तर (16) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये रुपये 320 करोड़ के राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु भट्ठे के लिए नियत समाधान राशि में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि का एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है। समाधान राशियों में यह वृद्धि दिनांक 1-10-2010 के पूर्व पंजीकृत व स्थापित पुराने भट्ठों के मामलों में लागू होने के साथ-साथ सीजन वर्ष 2010-2011 के दौरान स्थापित एवं पंजीकृत ईट भट्ठों पर भी लागू होगी। उपर्युक्त 5.30 प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई धनराशि का आधा भाग दिनांक 20-4-2011 तक एवं आधा भाग 20-5-2011 तक जमा करनी होगी।

6- जहाँ तक सीजन वर्ष 2009-2010 में अधिक जमा धनराशि का लाभ सीजन वर्ष 2010-2011 की अन्तिम किश्त में दिये जाने का बिन्दु है- इस संदर्भ में मुख्यालय द्वारा अलग से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करते हुये इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर ईट भट्ठा संगठनों एवं अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराते हुये इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

५/५/११

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट/ डिप्टी कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर, लखनऊ।

(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।

(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।

(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।

(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉं में ।

(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉं ।

(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।

(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।

(21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।

(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।

(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ ।

(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।

(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से ।

(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।

(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर

(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।

(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी ।

(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।

(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।

(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।

(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।

(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।

(54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास. दारुल शफा,लखनऊ।

(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।

(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।

(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ,।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आँगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।

(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसो0, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(बी0एन0द्विवेदी)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।